न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—22 / 2022 दायर दिनांक:— 05.07.2022

जीसीएमएस नं. 2022 / 415

1. अमरसिंह उम्र 25 साल पुत्र श्री हंसराज ऊर्फ हंसा जाति मीना निवासी हाल मूला का पुरा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0 लेण्ड होल्डर तहसील परिसर श्रीमहावीरजी
2. सरपंच ग्राम पंचायत बरगमॉ हाल तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0

—रैस्पोडेन्ट—02

अपील खिलाफ नामान्तकरण सं0 966 ग्राम बरगमॉ सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा तहसील हिण्डौन हाल श्रीमहावीरजी दिनांक 10.04.2008

उपस्थित —1.श्री रामभरोसी गोयल अधिवक्ता अपीलान्टीगण

2.पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:—14.05.2024

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 76 एल0आर0एक्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सरपंच गाम पंचायत बरगमा खिलाफ, कानून व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने के कारण गैरकानूनी है तथा काबिले निरस्त है।

अपीलांट का पिता हंसराज फोत होने के बाद उपरोक्त नामान्तकरण बिरासत का जो भरा गया है, वो गलत भरा गया है। सही जांच नहीं की गयी। अपीलांट का पिता के में अमरसिंह व भंवर दो लडके तथा उसकी बेवा ज्ञानि बारिस थे। लेकिन पटवारी हल्का ने बिना जांच किये अपीलांट का नाम अमरसिंह के बजाय कंवरसिंह दर्ज कर दिया जो गलत है। अपीलांट का नाम शुरू से ही अमरसिंह है। तथा स्कूल के दस्तावेज एवं आधारकार्ड सभी जगह अमरसिंह ही है। इसलिय उक्त नामांतकरण अपीलांट कंवरसिह गैरकानूनी तौर से दर्ज किया गया है जो काबिले निरस्त है।

गांव मूला का पुरा, बरगमा, नंगला मीना [illegible] कंवरसिंह पुत्र हंसराज उर्फ हंसा नाम का व्यक्ति नहीं है। मृतक [illegible] मेरा नाम अमरसिंह है। ग्राम नंगलमीना में स्थित मेरे [illegible] राज की जो भूमि [illegible] की खातेदारी में भी मुझ अपीलांट का नाम अमरसिंह [illegible] दर्ज है। उक्त गलत [illegible] होने की जानकारी अपीलांट को अब वालिग होने पर जब राजस्व रिकॉर्ड देखने पर हुयी, तब दिनांक 17.06.2022 को प्रार्थी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2022 श्रीमान एसडीओं साहब हिण्डौन के समक्ष पेश किया तब पटवारी रिपोर्ट से पूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी हुयी तब प्रार्थी/अपीलांट ने दिनांक 28.06.2022 को नामांतकरण की नकल की दरखाश्त दी तथा नकल दिनांक 01.07.2022 को प्राप्त हुई। इसलिये अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 966 तारिख 10.04.2008 ग्राम पंचायत बरगंमा तहसील हिण्डौन हाल श्रीमहावीरजी फरमाया जाकर आराजियात वाके ग्राम हाल राजस्व ग्राम मूला का पुरा के खातेदार हंसराज पुत्र रामभरोसी मीना का विरासत का नामंतकरण उसके वारिसान उसकी बेवा ज्ञानी एवंम् उसका भंवरसिंह एवं लडका अपीलांट अमरसिंह के नाम खोला जाकर तस्दीक किये जाने एवं खातेदारी किये जाने की आज्ञा फरमायी जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ, रैस्पोन्डेन्ट के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 04.08.2022 द्वारा रैस्पोन्डेन्ट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी सबूत में नकल नामांतकरण सं0 966 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 खाता संख्या 158, जाति प्रमण पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर , राशनकार्ड की प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता फोटो पहचान पत्र की प्रति और पेन कार्ड की प्रति एवं प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का बरगमॉ द्वारा कुॅवरसिंह पुत्र हंसराज के स्थान पर अमरसिंह पुत्र हंसराज शुद्ध किये जाने की अभिशंषा रिपोर्ट पेश किये हैं।

अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत आधार कार्ड की प्रति, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर , मतदाता फोटो पहचान पत्र की प्रति और पेन कार्ड की प्रति एवं प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का बरगमॉ द्वारा कुॅवरसिंह पुत्र हंसराज के स्थान पर अमरसिंह पुत्र हंसराज शुद्ध किये जाने की अभिशंषा रिपोर्ट में अपीलान्ट् का नाम कुॅवरसिंह पुत्र हंसराज के स्थान पर अमरसिंह पुत्र हंसराज दर्ज रिकॉर्ड है

जबकि वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल नामांतकरण सं0 966 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 खाता संख्या 158 में नाबालिग अमरसिंह पुत्र हंसा संरक्षक सरपरस्त माता खुद हिस्सा 1/105 जाति मीना सा.देह खातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

नकल नामान्तकरण सं0 966 फैसल... 10.04.2008 के अनुसार आराजी नकल जमाबन्दी सं0 207... 158 के आराजी खसरा नम्बर 1063 रकवा 0.11 है0 वाके ... मीना तहसील श्रीमहावीरजी के खातेदार हंसराज पुत्र रामभरोसी हिस्सा 5/32 ... मीना सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं जबकि अपीलान्टी द्वारा उक्त खसरा नम्बरो में खातेदारों की हिस्सेदारी तो सही है लेकिन नामांतकरण संख्या 966 दिनांक 10.04.2008 में अपीलांट का नाम अमरसिंह के स्थान पर कॅवरसिंह दर्ज रिकॉर्ड हो गया है। जबकि अपीलांटस के आधार कार्ड की प्रति, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, मतदाता

फोटो पहचान पत्र की प्रति और पेन कार्ड की प्रति एवं प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का बरगमॉ द्वारा कुँवरसिंह पुत्र हंसराज के स्थान पर अमरसिंह पुत्र हंसराज शुद्ध किये जाने की अभिशंषा रिपोर्ट में कॅवरसिंह के स्थान पर अमरसिंह पुत्र हंसराज का अंकन दर्ज रिकॉर्ड है। जिससे प्रकरण में अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व रिकॉर्ड यथा आधार कार्ड की प्रति, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, मतदाता फोटो पहचान पत्र की प्रति और पेन कार्ड की प्रति एवं प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का बरगमॉ द्वारा कुँवरसिंह पुत्र हंसराज के स्थान पर अमरसिंह पुत्र हंसराज शुद्ध किये जाने की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का नाम कॅवरसिंह पुत्र हंसराज के स्थान पर अमरसिंह पुत्र हंसराज जाति मीना निवासी मूल्या का पुरा वाके ग्राम नगला मीना सही होना प्रतीत होता है। एवं प्रकरण में अपीलान्टी द्वारा प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नामान्तकरण संख्या 966 फैंसल दिनांक 10.04.2008 निरस्त किया जाना न्यायोचित है। ऐसे हालात में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाती है। अतः नामान्तकरण सं0 966 फैंसल दिनांक 10.04.2008 ग्राम मूल्या का पुरा वाके ग्राम नगला मीना तहसील श्रीमहावीरजी को निरस्त मानते हुए तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार पुनः नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। इस हेतु तहसीलदार श्रीमहावीरजी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested